संख्या-65/2018-2369 ई-2/तेरह-2018-86/2016

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 06 अगस्त,2018

विषय:-मे0 के0एम0 शुगर मिल्स, मसौधा आसवनी, फैजाबाद के पी0डी0-2 अनुज्ञापन के अन्तर्गत वार्षिक क्षमता 300 दिवस के आधार पर 150 लाख लीटर वार्षिक से बढ़ाकर 330 दिवस के आधार पर 165 लाख लीटर वार्षिक किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-28/दो-प्रा0डी0-39/इलाहाबाद, दिनांक 22 जून,2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 22 जून,2018 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव एवं की गई संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त मे0 के0एम0 शुगर मिल्स, मसौधा आसवनी, फैजाबाद की अधिष्ठापित क्षमता 50 किलोली0 प्रतिदिन अर्थात् 300 कार्यकारी दिवस के आधार पर 150 लाख लीटर वार्षिक से बढ़ाकर 330 कार्यकारी दिवस के आधार पर 165 लाख लीटर वार्षिक करने हेतु एतदद्वारा इस शर्त के साथ अनुमति प्रदान की जाती है कि क्षमता विस्तार से पूर्व प्रश्नगत आसवनी द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा स्थापित सुसंगत विधियों/नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

कृपया तद्नुसार आगामी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in